

-- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 09 जिलों (बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर एवं सीकर) में 09 नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह दिसम्बर, 2024-जनवरी, 2025 में करवाये जा रहें हैं (प्रति सलंगन)। उक्त नगरीय निकायों में मतदान दिनांक 09.01.2025 (गुरुवार) को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 09.01.2025 (गुरुवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email-secraj@rajasthan.gov.in Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(2)नपा/रानिआ/2024/ 8930

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर एवं सीकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक:- 31.12.2024

(अम्बा लाल मीणा)
उपसचिव